

राजस्थान सरकार



रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र

क्रमांक :- २४ / श्रीगंगानगर / २००२-२००३

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरौड़ लंका शिशु प्रबन्ध
समिति, श्री गंगानगर जिला श्री गंगानगर का राजस्थान
संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (राजस्थान अधिनियम संख्या 28, 1958) के
अन्तर्गत रजिस्ट्रीकरण आज किया गया।

यह प्रमाण पत्र मेरे हस्ताक्षरों और कार्यालय की सील से आज दिनांक
२४ माह जुलाई सन् २००२ को
श्री गंगानगर में दिया गया।



रजिस्ट्रार गंगानगर
श्री गंगानगर (DDO No 014501)